26/4/16 | पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई, आवाज लगाई गई, प्रा० पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली कैलल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
59/15	13.08.2015	26.04.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

1. लटूर पुत्र भूरा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. मथुरी बेवा लटूर
   1/2. रामदयाल पुत्र लटूर
   1/3. बीरम पुत्र लटूर
   1/4. मन्जू पुत्री लटूर पत्नी राम कुमार मीणा निवासी बमूलिया रावतान
   1/5. बदरी पुत्री लटूर पत्नी रामस्वरूप मीणा निवासी पापरली तहसील मांगरोल जिला बांरा, निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा
2. गोपाल पुत्र गोबरी लाल जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा (फोत)
3. रामप्रसाद पुत्र गोबरी लाल जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. केसर पत्नी रामकरण पुत्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कस्तूरी पत्नी गंगाराम पुत्री सुन्दरा, मृतक जरिये वैधानिक प्रतिनिधि–
   2/1. महावीर पुत्र स्व0 रामचरण मीणा निवासी ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री शिवप्रसाद शर्मा :– प्रार्थीगण की ओर से

Scanned by CamScanner

2. श्री रामबाबू दाधीच :– प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 88–82(ए)–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में ख0नं0 193 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 231 रकबा 1.33 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.13 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज सं0 2013 से यानी 57 वर्ष से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान् जाति से मीणा है और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता है किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी नं0 1 ने सेटलमेंट वालों से मिलकर उक्त भूमि अपनें नाम खातें दर्ज करा लिया जबकि उपरोक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज होनें का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त भूमि को रहन, बैचान करनें, प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा कर बैदखल करनें पर आमादा है इस संबंध में प्रतिपक्षीगण द्वारा गांव में दिनांक 01.08.2015 को सरेआम भूमि को बैचान करनें की धमकी दी, यदि दौरानें वाद भूमि का प्रतिपक्षीगण की अवैध, अनाधिकृत कार्यवाही को नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण के हित व अधिकार प्रभावित होंगे, अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही बैकार हो जावेगा तथा कई वाद विवाद पैदा होंगे। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है। शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेंगे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में ख0नं0 193 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 231 रकबा 1.33 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.13 हे0 भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैचान व अन्तरण नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपनें प्रतिनिधि द्वारा ही करवाये।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से विद्वान वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालातनामा प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर, प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने का निवेदन किया तथा विशेष कथन किये कि खातेदार सुन्दरा का देहावसान आरटीएक्ट व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आनें से पूर्व ही हो गया था, प्रतिपक्षी नं0 1 केसर बाई अविवाहित थी, अपनें पिता के जीवनकाल तक उनके साथ रहती थी, प्रतिपक्षी के पिता सुन्दरा की मृत्यु के समय प्रतिपक्षी 8 वर्ष की थी, प्रतिपक्षी के पिता सुन्दरा की मृत्यु के बाद मृतक सुन्दरा के स्थान पर प्रतिपक्षी नं0 1 का नाम विधि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वैध रूप से खातेदार कृषक के रूप में अंकित हुआ है। प्रतिपक्षी नं0 1 विवादित आराजी की खातेदार कृषक है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है। चूंकि प्रतिपक्षी वर्तमान में विधवा महिला है। जिसके अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। जिसके आरटीएक्ट में प्रावधान निहित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी नं0 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। प्रस्तुत वाद साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है। वैसे भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है, मात्र प्रतिपक्षी नं0 1 को नाजायज तंग व परेशान करनें की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज होनें योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेंजी साक्ष्य में पक्षकारान् द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –

1. प्रतिलिपि नकल जमाबंदी ग्राम बिसलाई सं0 2066–69 खाता नं0 112
2. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मूण्डला दिनांक 02.02.2018

हमने प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षीगण को अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तीन विन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिकांशतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया तथा कथन किये कि विवादित भूमि

Scanned by CamScanner

ग्राम बिसलाई स्थित ख0नं0 193 व 231 की है। पक्षकारान् जाति से मीणा है। विवादित भूमि पर कब्जा हमेशा से हमारा ही रहा है। बिना विधिक प्रकिया अपनायें, अवैध तरीके से प्रार्थीगण के पजेशन को हटाया नहीं जा सकता है। केसर द्वारा पूर्व में भी धारा 188–183 का दावा किया गया था। केसर बाई वर्तमान में जमीन बैचनें पर आमादा है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण का ही है। अतः मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति जारी की जावें।

वकील प्रतिपक्षी नं0 1 ने बहस में कथन किये कि दावा पूर्व से ही जैरकार चला आ रहा है। सन् 2015 में 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार है। सुन्दरा के एकमात्र पुत्री केसर थी एवं उसी अनुसार इंतकाल दर्ज किया गया। खातेदार प्रतिपक्षी नं0 1 विधवा महिला है, आरटीएक्ट की धारा 5(25) के अनुसार विधवा महिला की भूमि पर स्वयं का कब्जा माना जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस रिपीटल में विद्वान वकील प्रार्थीगण ने कथन किये कि पूर्व में दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था, जिससे 212 का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो गया था। जिससे 212 का प्रार्थना पत्र पुनः पेश करना आवश्यक हो गया। पूर्व के रिकॉर्ड में केसर बेटी सुन्दरा दर्ज थी, बाद में केसर बेवा रामकरण दर्ज हुई। विवादित भूमि सुन्दरा की थी, न कि रामकरण की।

दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि हस्व जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 खाता नम्बर 112 ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 193 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 231 रकबा 1.33 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.13 हे0 भूमि की वर्तमान में प्रतिपक्षी नं0 1 केसर जोजे रामकरण अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। अतः प्रतिपक्षी नं0 1 के विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होनें से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का कथन है कि, उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज सं0 2013 से यानी 57 वर्ष से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान् जाति से मीणा है और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता है किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी नं0 1 ने सेटलमेंट वालों से मिलकर उक्त भूमि अपनें नाम खातें दर्ज करा लिया जबकि उपरोक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ने किस आधार पर सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि अपनें नाम दर्ज करवाई है ? प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर खातेदार प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा नहीं होनें बाबत् भी कथन किये है, किन्तु आरटीएक्ट की धारा 5 में कब्जें के सम्बन्ध में वर्णित है कि " ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कि विधवा हो अथवा अवयस्क हो अथवा किसी भी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से अयोग्य हो अथवा भारतीय सेना, नौ सेना, हवाई सेना का सदस्य हो या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का विद्यार्थी हो एवं आयु 25 वर्ष से कम हो, भूमि उपरोक्त प्रकार व्यक्तिगत देखरेख के अभाव में भी स्वयं के लिये काश्त की हुई मानी जावेगी।" प्रकरण में विवादित आराजी की खातेदार प्रतिपक्षी नं0 1 विधवा महिला है तथा आरटीएक्ट की धारा 5 में वर्णित तथ्यों के अनुसार विधवा महिला का देखरेख के अभाव में भी काश्त की हुई मानें जानें की अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में प्रबल है।

आर0आर0डी02000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि " ***सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से*** "

प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षीगण के खिलाफ् अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रकरण में हम यह अंकित किया जाना उचित समझते है, कि अभिलिखित सहखातेदार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा बाबत मदाखलत व मजाहमत दिया जाना विधिसंगत नहीं है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजियात या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है दिनांक 13.08.2015 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसाल नम्बर 11/2012 के साथ संलग्न रहें।

निर्णय आज दिनॉक 26/04/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner